



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260186
CG-DL-E-14012025-260186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946

No. 203]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

का.आ. 205(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 387.300 से कि.मी. 468.400 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने / चार/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी - रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 387.300 कि.मी. से 468.400 कि.मी. तक की भूमि का अर्जन ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, पुरुलिया	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Expressway के कि.मी. 387.3 से कि.मी. 468.4 तक	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	पुरुलिया - I	1 धड़का(J.L.No 69)

[फा. सं. NI/2023/60901]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2025

S.O. 205(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 387.300 to Km. 468.400 of the Greenfield Expressway for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL.

SCHEDULE

Land acquisition from Km. 387.300 to Km. 468.400 of the Greenfield Expressway Varanasi-Ranchi-Kolkata in the State of WEST BENGAL.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DISTRICT Magistrate & Collector, Purulia	Greenfield Expressway KM 387.3 TO KM 468.4	WEST BENGAL	PURULIA	Purulia - I	1 Dhadhka (J.L.No 69)

[F. No. NI/2023/60901]

ABHAY JAIN, Director